कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/QRY/40791/2019/ 691 भोपाल, दिनांक 14-02-25

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– वनमण्डल उत्तर सागर के परिक्षेत्र मालथौन के वन कक्ष क्रमांक RF-112 के रकबा 1.00 हेक्टेयर वनभूमि में फर्सी पत्थर उत्खनन नवीनीकरण का प्रस्ताव–श्री संजय कटारे, सागर। ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/QRY/40791/2019

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPC037/ 2020- BHO/ 900 दिनांक 30 / 09 / 2020

---0---

विषयांकित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 08 बिन्दुओं की जानकारी संबंधितो से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	The proposal receved F (C) A, 1980 clearance vide Letter no. 8C/5/293/FCW dated 19/06/1995 and renewal vide Letter no. C/33/2003-FCW/4373 dt. 26/11/2007. The Complete compliance report of both this clearance is required.	चाही गई इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में लेख है कि पूर्व में भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8C/5/293/95-FCW दिनांक 17.06.1995 एवं पत्र क्रमांक 8C/32/2003-FCW/4373 दिनांक 26.11. 2007 द्वारा जारी स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन संलग्न है। इन स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों के पालन में तत्समय प्रचलित दरों पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि एवं स्वीकृत वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है तथा एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक संस्थान से जमा कराई जा चुकी है।
2	The F (C)A, 1980 clearance vide Letter no. 8C/5/293/95-FCW dated 19/06/1995 in the condition no. ii) "CA shall be taken up by the Forest Department in identified non-forest area at the project cost" a. The non-forest area details shall be submitted along with the map, KML file & details of mutation and forest compartment No. b. The amount deposited in the CAMPA fund for CA and amount utilized for plantation till date shall be submitted. c. The plantation (plants per ha) prescribed in the CA scheme during approval of project, the plantation (plants per ha) planted during plantation along with year of the plantation and present survival % along with number of palnts per ha remain as on. d. The site photographs of the CA plantation.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में लेख है कि :– a) प्रस्तावित गैर वनभूमि में विस्तृत विवरण दर्शाते हुये KML फाईल एवं नक्शा संलग्न है। b) तत्समय प्रचलित दरों पर वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि आवेदक संस्थान से राज्य शासन के राजस्व मद में जमा कराई जा चुकी है। राशि का आवंटन नहीं होने से वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। c) राशि का आवंटन नहीं होने से रोपण कार्य नहीं कराया गया है। d) इस बिन्दु की जानकारी रोपण के पश्चात उपलब्ध कराई जायेगी।

3	The Approved mining plan & reclamation plan duly ceretified by competment authority shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि पूर्व में भारत सरकार की स्वीकृति वर्ष 1995 एवं नवीनीकरण की स्वीकृति दिनांक 26.11.2007 के समय माइनिंग/समतलीकरण योजना प्रस्तुत की गई थी। भारत सरकार से पुनः नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर माइनिंग/समतलीकरण योजना प्रस्तुत कर दी जायेगी, इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया है।
4	The FRA certificate & proceedings of Gramsabha shall be submitted.	पूर्व की स्वीकृति/नवीनीकरण के समय स्वीकृत वनभूमि पर खनन के दौरान वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कोई दावा स्वीकृत नहीं है। भारत सरकार की नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व FRA प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा FRA प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जिलाध्यक्ष, सागर को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया है।
5	The details of extraction of minerals and royalty paid to Govt. shall be submitted.	इस बिन्दु की जानकारी संलग्न प्रेषित है।
6	The menrals reserved as per approved mining plan in 2007 approval and remaining material reserved in the proposed forest land as on duly certified by competent authority shall be submitted.	मिनरल्स भण्डार उपलब्ध होने के संबंध में आगामी 20 वर्षों की संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म से प्राप्त जानकारी संलग्न है।
7	The mining area is about 1.000 km away from the nearest road / forest boundary and approach road of mining area is requited a. The road / approach road used by the U.A. till date. b. The detailed of area required for the approach road along with KML file.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि लीज क्षेत्र तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग/निकासी मार्ग का उपयोग पूर्व से प्रचलित मार्ग का ही उपयोग किया जायेगा। पहुंच मार्ग हेतु अलग से वनभूमि की आवश्यकता नहीं है। लीज क्षेत्र तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग को नक्शें में दर्शाया जाकर नक्शा संलग्न है।
8	The complete Site Inspection report shall be uploaded on webportal.	इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सागर की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सागर द्वारा लेख किया गया है कि पत्थर–फर्शी लीज नवीनीकरण होने से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। पत्थर खनिज का उत्खनन पूर्व में उत्खनित गड्ढे से ही किया जायेगा तथा शासन को रायल्टी भी प्राप्त होगी। उपरोक्तानुसार वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सागर द्वारा यह भी लेख किया गया है कि इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प खोजे गये। वनभूमि की मांग को अपरिहार्य एवं न्यूनतम बताया गया है तथा लीज नवीनीकरण की अनुशंसा की गई है।

–3–

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की नवीनीकरण की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

18.02.25

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/QRY/40791/2019 / 892 भोपाल, दिनांक 19-02-25

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर, मध्यप्रदेश ।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
3. श्री संजय कटारे, गांधी चौक वार्ड, सागर, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

18.02.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडल अधिकारी उत्तर सागर वनमंडल जिला सागर (म.प्र.)

Email :- dfotnsagar@mp.gov.in: Phone & Fax No. :- 07582-236337

क्रमांक/मा.चि./२०२५/ 215 सागर, दिनांक - 15/01/2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल
वन भवन, तुलसीनगर भोपाल (म.प्र.)

विषय :- वनमंडल उत्तर सागर के परिक्षेत्र मालथौन के वन कक्ष् क्रमांक आर.एफ. 112 के रकवा 1.000 हेक्टेयर हेक्टेयर वनभूमि में फर्शी-पत्थर खनिज उत्खनन नवीनीकरण प्रत्यावर्तन का श्री संजय कटारे, सागर का प्रस्ताव।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/QRY/40791/2019/3342 भोपाल दिनांक 03-10-2020.

-- o --

निवेदन है कि संदर्भित पत्र से प्रकरण में चाही गयी जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

क्र.	निर्धारित बिन्दु	जानकारी
2a	The non-Forest area details shall be submitted along will with the map, KML file & details of mutation and forest comparment no.	प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि ग्राम मझेरा ख.नं. 161 का रकवा १.०० हेक्टेयर न्यायालय अपर कलेक्टर सागर का राजस्व प्रकरण क्रमांक ४अ/१९(३) ९५-९६ पारित आदेश दिनांक २०-१०-१९९५ से वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरित भूमि भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा --२९ में अधिसूचना क्रमांक/एफ-५-४४-९६-दस-३ दिनांक २७ फरवरी १९९६ से अधिसूचित की गयी। अधिसूचित भूमि का म.प्र. राजपत्र दिनांक २४ मई ११९६ में प्रकाशन किया गया। वन मानचित्र हस्तांतरण आदेश, राजपत्र प्रति, एवं के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
2b	The amount deposited in the CAMPA fund for CA and amount utilized for plantation tll date shall be submitted.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित राशि रूपये १५०००/- राजस्व मद १०-२४०६ वन राजस्व ८०० अन्य प्राप्तियां (०२३७) चा.नं. ७/५ दिनांक १०-१०-१९९५ से जमा की गयी थी। राशि आवंटन अप्राप्त। वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया।
2c	The plantation Plant per ha) prescribed in the CA scheme during approval of project the plantation (plants per ha) planted during plantation along with year of the plantation and present surival % along with number of plants per ha remain as on.	राशि आवंटन अप्राप्त।
2d	The site photographs of the CA plantation.	वृक्षारोपण कार्य उपरांत पृथक से उपलब्ध करायी जावेगी।
7a	The road/approach road used by the U.A till date.	लीज क्षेत्र हेतु पहुंच मार्ग पूर्व से प्रचलित है प्रचलित मार्ग का निकासी हेतु उपयोग किया जावेगा। मार्ग दर्शित मानचित्र संलग्न है।
7b	The details of area required for the approach road along with KML file.	पहुंच मार्ग पूर्व से स्थापित है मार्ग हेतु पृथक से वनभूमि की आवश्यकता नहीं होगी।
8	The Complete site inspection report shall be uploaded on webportal.	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप् में संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमंडल अधिकारी
उत्तर सागर वनमंडल
15/01/25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

आवक क्र. 237
दिनांक 23-1-25

MADHYA PRADESH FOREST DEPARTMENT
NORTH SAGAR DIVISION

RANGE: MALTHONE

SCALE
1:12,500

COMPATMENT No. - P 138 B

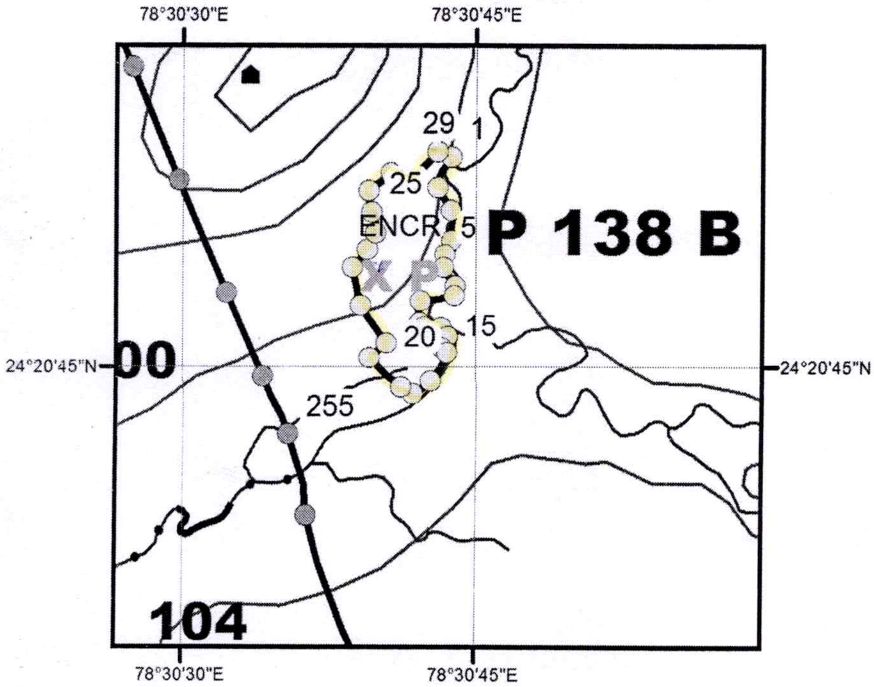

Legend

A- PHYSICAL FEATURES (FOREST)

1- ADMINISTRATIVE

- Division Boundary
- Block Boundary
- Pillar (PF, RF)
- Compartment Boundary
- Compartment No - **TEXT**

SOI FEATURE

Administrative Feature

- District boundary
- Subdivision, tehsil, taluk
- Village

Communication Feature

- Railway line Broad gauge
- Railmeter Narrow Gauge
- Road metalled
- Road Fair Weather
- Cart-track
- Pack-track/Foot Path
- Power line

Natural Feature

- Contour
- River bank
- Stream dry
- Stream perennial
- Water body Pernnial (River /Tank)

2 136

(8)

न्यायालय अपर कलेक्टर सागर

क्रमांक/क/ 9507 री. अपर कले. /95 सागर, दिनांक 26/10/95

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी,

उत्तर वन मण्डल,

सागर

10639
27/10/95

विषय-: राजस्व प्रकरण क्रमांक 04अ/19(3)वर्ष 95-95 वन मंडल उत्तर सागर ।

:::

इस न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 4अ/19(3) 95-96 में पारित आदेश दिनांक 20.10.95 अनुसार भूमि वनकक्ष (कम्पार्टमेन्ट) क्रमांक 566 में से 1.000हेक्टर क्षेत्र राजस्व विभाग में पत्थर फर्शी उत्खनन हेतु तथा राजस्व विभाग की ग्राम मझेरा पहनं. 41 तहसील खुरई की शासकीय भूमि खसरा नंबर 161 रकवा 6.56 हेक्टर में से 1.000हेक्टर क्षेत्र जो शासकीय अभिलेख में छोटाघास तथा निस्तार पत्रक के अनुसार चरोखर दर्ज है, को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उत्तर वन मण्डल सागर को उक्त भूमि के बदले में हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

अपर कलेक्टर
सागर

पृ0क्रमांक/क/ री. अपर कले. /95 सागर, दिनांक

प्रतिलिपि,

खनिज अधिकारी सागर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर
सागर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		No. 347 P. C. No. 38, RI Circle Chhindwara, Tahsil—Chhindwara, Distt. Chhindwara			East—Boundary of Kh. No. 44 and new pillar No. 88 to 95. South—Boundary of Kh. No . 48, 46, 45, 65, 66, 67, 68, 74, 84, 86/2, 87, 88, 89, 91, 99, 94 and new pillar No. 95 to 158 and 1. West—Boundary of Kh. No. 6, 7, 8, 9, 11 and new pillar No. 1 to 20.
			Total . .	37.109 hect.	

REASONS FOR AFFORESTATION

For compensatory plantation against Urdhan open cost Project of W. C. L.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. K. PANWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २७ फरवरी १९९६

क्र. एफ. ५-४५-९६-दस-३.—भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (क्रमांक १६ सन् १९२७) की धारा २९ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय ४ के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गयी वन भूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जावें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे :—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—खुरई, वनमंडल—उत्तर सागर, वनमंडल वन परिक्षेत्र बांदरी

अ.क्र.	वनखण्ड का नाम	वन या बंजर भूमि का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	मझेरा	छोटा घास	१६१	३.०००	उत्तर—ख. नं. १६१ का शेष उत्तरी हिस्सा. पूर्व—कलरऊ एवं गुरैया घाट नाला. दक्षिण—कलरऊ नाला की सीमा. पश्चिम—ख. नं. १५७, १५८, १५९, १५४, १५२ लगानी भूमि की सीमायें तथा आर. एफ. ५५४, की पूर्वी सीमा लाइन (मुनारा क्र. ९ से १५ की लाईन).

संक्षिप्त वर्णन

खसरा क्र. १६१ में कोई अतिक्रमण नहीं है तथा राजस्व अभिलेख में छोटा घास (चरोखर) हेतु दर्ज है. वर्तमान में इस क्षेत्र में झाड़ी का जंगल मौजूद है एवं वृक्षारोपण हेतु मिट्टी की गहराई पर्याप्त है. मिट्टी का प्रकार सेन्डीलोम है तथा निचला हिस्सा वाटर लाक्ड है.

वनीकरण का कारण

भारत सरकार के पत्र क्रमांक ८ सी-५-२९३-९५-एफ. सी. डब्ल्यू, दिनांक १६/१९ जून १९९५ से आर. एफ. ५६६ सी-५-२९१-एफ. सी. डब्ल्यू, दिनांक १६/१९ जून १९९५ से आर. एफ. ५६७ तथा ८ सी-५-२९२-९५-एफ. सी. डब्ल्यू, दिनांक १६/१९ जून १९९५ से आर. एफ. ५६६ में १.०००-१.००० हेक्टर अर्थात् तीन हेक्टर वन भूमि पर ५ वर्ष हेतु पत्थर/फर्सी खदान स्वीकृत की गई है. इसके बदले में उक्त राजस्व भूमि वन विभाग को भारत शासन की शर्त क्रमांक ४ में उल्लेखित वृक्षारोपण हेतु उतनी ही राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण होगी, जिस पर वृक्षारोपण कार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. पंवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २७ फरवरी १९९६

क्र. एफ. ५-४५-९६-दस-३.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ५-४५-९६-दस-३, दिनांक २७ फरवरी १९९६ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. पंवार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th February 1996

No. F. 5-45-96-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest land/waste land, specified in the Schedule below subject to the conditions that the existing rights of the individuals or communities shall not be abridged or effected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tahsil—Khurai, Forest Division—North Forest, Range—Bondri

S. No.	Name of Block	Name of Forest or waste land	Khasra No.	Area (in hect.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Majhera	Chotaghash	161	3.000	North—Revenue Part of K. No. 161. East—Kalara nala and Gurrayaghat Nala. South—Kalara Nala. West—K. No. 157, 158, 159, 154, 152 and eastern boundary R. F. C. No. of 534.

BRIEF DESCRIPTION

No encroachment in K. No. 161 record on Chhotaghas in revenue land area is suitable for plantation. Soil is sendi lome..

REASONS FOR AFFORESTATION

Sanctioned for stone quarry on 1.000-1.000 hect. each in three curys (total 3 hectares) forest land in compt. No. 566 to 567 (R. F.) is given vide Government of India letter No. 8-C-5-293-95-F.C.W., dated the 16/19th June 1995 and 8-C-5-292-95-RCW, dated the 16/19th June 1995 as per condition No. 4, above revenue land is to be transfer to forest department compensatory of plantation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. K. PANWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २७ फरवरी १९९६

क्र. एफ. ५-४६-९६-दस-३.—भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (क्रमांक १६ सन् १९२७) की धारा २९ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय ४ के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गयी राजस्व भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुये करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जावें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे :—

अनुसूची

जिला—सिवनी, तहसील—सिवनी, वन मण्डल—उत्तर सिवनी (सा.) वन परिक्षेत्र—छपारा

अनु. क्र.	वनखण्ड का नाम	वन या बंजर भूमि का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	बंधा	राजस्व भूमि	४०	१४.५८०	उत्तर—राजस्व ग्राम बंधा के ख. नं. ३८, ३९ की राजस्व भूमि और मुनारा क्र. १ से २० तक. पूर्व—राजस्व ग्राम १४७ बंधा के ख. नं. की राजस्व भूमि और मुनारा क्र. २० से २१ तक. दक्षिण—राजस्व ग्राम बंधा के ख. नं. ४३, १४५, १४६, १४७ की राजस्व भूमि और मुनारा क्र. २१ से ३१ तक. पश्चिम—राजस्व ग्राम बंधा ख. नं. ४२ की राजस्व भूमि और मुनारा क्र. ३१ से १ तक.

संक्षिप्त वर्णन

सिवनी जिले के उत्तर सिवनी वन मण्डल (सा.) के केवलारी वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के अधीन बरगुर नहर निर्माण सिंचाई योजना में प्रभावित ८.५२० हे. वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु १४.५८० हे. राजस्व भूमि, छपारा वन परिक्षेत्र के ग्राम बंधा के अन्तर्गत उत्तर सिवनी वन मण्डल (सा.) द्वारा अपने प्रभार में प्राप्त कर ली गई है, जो संरक्षित वन घोषित करायी जाना है.

स्थल निरीक्षण रिपोर्ट(Proposal No. FP/MP/MIN/QRY/498346/2024)

सागर जिले के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मालथौन अंतर्गत फर्शी–पत्थर उत्खनन लीज आवेदक संजय कटारे की लीज नवीनीकरण बावत् प्रस्तावित वनक्षेत्र का दिनांक 28/11/24 को स्थल निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में वनभूमि के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 112 के अंतर्गत स्थल है। मौका स्थल अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

No.	Pariticular	Inspection Report by DFO (T.)
1	Extent is hectares.	1.00 हेक्टेयर
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	According to attached KML Shape File
3	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved forest, revenue forest lands or any other forest land)	आर.एफ. 112 (आरक्षित वन) वनखण्ड 87 मालथौन वीट अटा वन परिक्षेत्र मालथौन
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	हाँ
5	Any signs of encroachment.	नहीं
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	नहीं
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	वन कक्ष क्रमांक: RF 112 स्थल गुणवत्ता: V a घनत्व: Below 0.4 वन का प्रकार: मिश्रित
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and aboundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife) Any latest census of wildlife in this area.	आवेदित वनभूमि के निरीक्षण के दौरान प्रत्यक्ष में वन्य प्राणी नहीं देखे गये, किन्तु उनके विचरण के प्रमाण मौजूद हैं।
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	नहीं
10	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and, if not, why ?	प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 112 का वनक्षेत्र पुनःस्थापना प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत है।
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	नहीं
12	Any dependent persons/families on the land.	नहीं
13	Any displacement of persons proposed.	नहीं
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected ? Is there any dissenting voice among the persons to be affected ? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	नहीं
15	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of the area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the curent Working Plan preseription for the area ? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	आवश्यक नहीं।

वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मण्डल सागर

16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 kms.	पन्ना टाईगर रिजर्व की दूरी लगभग 80 कि.मी. है।
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in the area.	नहीं
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	फर्शी–पत्थर लीज नवीनीकरण संचालन होने से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार की सुविधा तथा शासन को खनिज रायल्टी प्राप्त होगी।
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	प्रस्ताव में मांग की गयी वनभूमि की भारत सरकार/म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा वर्ष 1995 एवं 2007 में लीज उत्खनन की जारी स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तो का पालन आवेदक द्वारा किया गया है, नवीनीकरण हेतु वनभूमि की मांग की गयी है।
20	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	आवेदक विभाग द्वारा वनभूमि के अतिरिक्त अन्य विकल्पों की खोज की गयी परीक्षण उपरांत मांग की गयी वनभूमि अपरिहार्य व न्यूनतम है।
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	हॉ
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	नहीं
23	Any other issue of significance.	फर्शी–पत्थर लीज नवीनीकरण में कोई भी वृक्ष/पौध प्रभावित नहीं होगें।
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	प्रस्ताव में फर्शी–पत्थर लीज नवीनीकरण हेतु मांग की गयी वनभूमि में पूर्व के उत्खनित गड्ढे मौजूद हैं। फर्शी–पत्थर लीज नवीनीकरण संचालन होने से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार की सुविधा प्राप्त होगा, शासन को खनिज रायल्टी प्राप्त होगी। नवीनीकरण हेतु मांग की गयी वनभूमि रकवा 1.00 हेक्टेयर आवेदक को सशर्त उपयोग पर दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

Range Officer
Malthone

सहमत

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल सागर

प्रति,

श्रीमान् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय
(भू–प्रबंध) वन भवन, तुलसी नगर
म.प्र. भोपाल

विषय :– वनमंडल उत्तर सागर के परिक्षेत्र मालथौन के वन कक्ष कमांक आर.एफ. 112 के रकवा 1.00 हेक्टेयर वनभूमि में फर्शी–पत्थर खनिज उत्खनन नवीनीकरण प्रत्यावर्तन का श्री संजय कटारे का प्रस्ताव।

संदर्भ :– आपका पत्र पृ.कमांक / एफ–1 / FP/MP/QRY/40791/2019 Dt. 03-10-2020

–– 0 ––

उपरोक्त विषय में आपके पत्र के माध्यम से चाही गयी जानकारी निम्नानुसार है :–

क.	बिन्दु	जानकारी
1	The Proposal reveved F (C) A, 1980 clearance vide Letter no. 8C/5/292/FCW dated 19-06-1995 and renewal vide Letter no. C/31/2003-FCW/4374 dt, 26-11-2007. The Complete compliance report of both this clearance is required.	प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 09.06.1995 एवं नवीनकरण स्वीकृति दिनांक 26.11.2007 में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन संलग्न है।
2	The Approved mining plan & reclamation plan duty ceretified by competment athority shall be submitted.	प्रकरण में स्वीकृत खनन योजना एवं समतलीकरण योजना प्रथमबार आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी थी, उपरोक्त योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 एवं नवीनीकरण स्वीकृति दिनांक 26.11.2007 जारी की गयी है।
3	The FRA certificate & proceedings of Gramsabha shall be submitted.	स्वीकृत वनभूमि पर वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकृत नहीं है, आवेदक द्वारा वर्ष 1996 से 2001 तक पुनः नवीनीकरण की स्वीकृति बाद वर्ष 2007 से 2012 तक खनन कार्य किया गया है।
4	The details of extraction of minerals and royalty paid to Govt. shall be submitted.	**प्रति संलग्न है।**
5	The menrals reserved as per approved mining plan in 2007 approval and remaining material reserved in the proposed forest land as on duly certified by competment authority shall be submitted.	संचालनालय भौमिकीय तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के द्वारा क्षेत्र निरीक्षण उपरांत पत्र कमांक / 2318 दिनांक 05.10.2013 से जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवेदित क्षेत्र अंतर्गत फर्शी–पत्थर (सेण्ड स्टोन) का अनुमानित भण्डार 5000 घ.मी. उपलब्ध है, खनिज अधिकारी जिला सागर के पत्र कमांक / 28 दिनांक 05.01.2009 के अनुसार क्षेत्र में फर्शी–पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, 20 वर्ष के लीज हेतु अनापत्ति दी गयी है, प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सागर दिनांक – 04/2/2025

(signature)

संजय कटारे
गांधी चौक वार्ड सागर

No. 8C/5/293/95-FCW
Government of India
Ministry of Environment and Forests

Paryavaran Bhawan,
CGO complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003.

Dated : 16.6.1995

To

The Secretary Forests,
Govt. of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Subject: Diversion of 1.00 ha. of forest land for Farshi Stone quarrying in favour of Shri Sanjay Katre in district Sagar.

.....

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F-5/30/95/10/3 dated 27.4.1995 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

After careful consideration of the proposal of the State Government, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 1.00 ha. of forest land for Farshi Stone quarrying in favour of Shri Sanjay Katre in Sagar district, subject to the following conditions:-

i) Legal status of forest land shall remain unchanged.

ii) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in identified non forest area at the project cost.

iii) The cost of compensatory afforestation shall be deposited with the Forest Department in advance by the user agency.

iv) The non forest land shall be transferred to the Forest Department and mutation done in their favour.

v) Reclamation plan shall be prepared by the Forest Department and amount recovered from the user agency in advance.

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर

v) Reclamation plan shall be prepared by the Forest Department and cost recovered in advance from the user agency.

vi) The lease period shall be for a period of 5 years.

vii) On compliance of conditions No. 3,4 & 5 by the user agency, the State Government may issue formal order of diversion.

Yours faithfully,

19/6/15

(R.K. CHAUDHURY)

Asstt. Inspector General of Forests

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. Nodal Officer, Office of Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
3. The CCF(Central), Regio al Office, Bhopal.
4. RO(HQ), New Delhi.
5. Guard file.

(R.K. CHAUDHURY)

Asstt. Inspector General of Forests

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

Regional Office, Western Re
"केन्द्रीय पर्यावरण
"Kendriya Paryavaran Bhava
लिन्क रोड नं0–3,Link Road N
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nag
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525,2463102, 2465496
तार /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

8C/32/2003-FCW/ 4373

दि0 26-11-2007

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

... जिले में फर्शी पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे0 वनभूमि श्री संजय कटारे को उपयोग पर ... बाबत् ।

1. इसी कार्यालय का पत्रांक 8सी/32/2003–एफसीडब्ल्यू/3257 दिनांक 06/06/2007
2. ...प्र0सं0 एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–2/37/96/10–11/2550 दिनांक ...14/11/2007

... मध्यप्रदेश शासन के उक्त विषयक पत्रांक डी/1644/1732/2003/10/3 दिनांक ...2003, मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक .../96/10–11/2127 दिनांक 22/9/06 एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक ...–आर0ओ0(एच0क्यू0) दिनांक 16/01/2007 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) ... 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

... वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) ... लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी । उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल ... मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः केन्द्र सरकार ... जिले में फर्शी पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे0 वनभूमि श्री संजय कटारे के प्रस्ताव को ... अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है

... भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

... के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को केम्पा (CAMPA) के ... बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस–I, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में स्थित ... संख्या CA 1580 में हस्तांतरित की जायेगी ।

...कर्ता के व्यय पर खनन पट्टा क्षेत्र का 4' ऊँचे आर0सी0सी0 सीमा स्तम्भों जिन पर बियरिंग, कम ... स्तम्भ से स्तम्भ की दूरी लिखी होगी, से सीमांकन किया जाएगा ।

... (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इस खनन पट्टे के अनुमोदन की अवधि इस अनुमोदन पत्र के ... होने की तिथि से 5 वर्ष रहेगी ।

... वनक्षेत्रों में अग्नि से सुरक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी ।

...MINING

कार्यालय वन संरक्षक ... 6548 29/11/07

....2

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा

7. प्रस्तावर्तित भूमि के अतिरिक्त किसी वनभूमि पर ओवरबर्डन की डपिंग नहीं की जायेगी।

8. प्रस्ताव के साथ संलग्न Land Reclamation Measures का कियान्वयन उपयोग वन विभाग के निर्देशन में किया जायेगा ।

(डॉ0

मुख्य वन

प्रतिलिपिः

1. उप सचिव(एफ0सी0),पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,पर्यावरण भवन,सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, दिल्ली
2. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वनमण्डल सागर, जिला–सागर, मध्यप्रदेश ।
4. मेसर्स श्री संजय कटारे, गांधी चौक वार्ड, सागर, जिला–सागर, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(डॉ0

मुख्य वन

OPERATION LINE PLAN OF PROPOSED QUARRY AREA

COMPT. NO. :- RANGE OF NORTH SAGAR DIVISION

OF SHRI

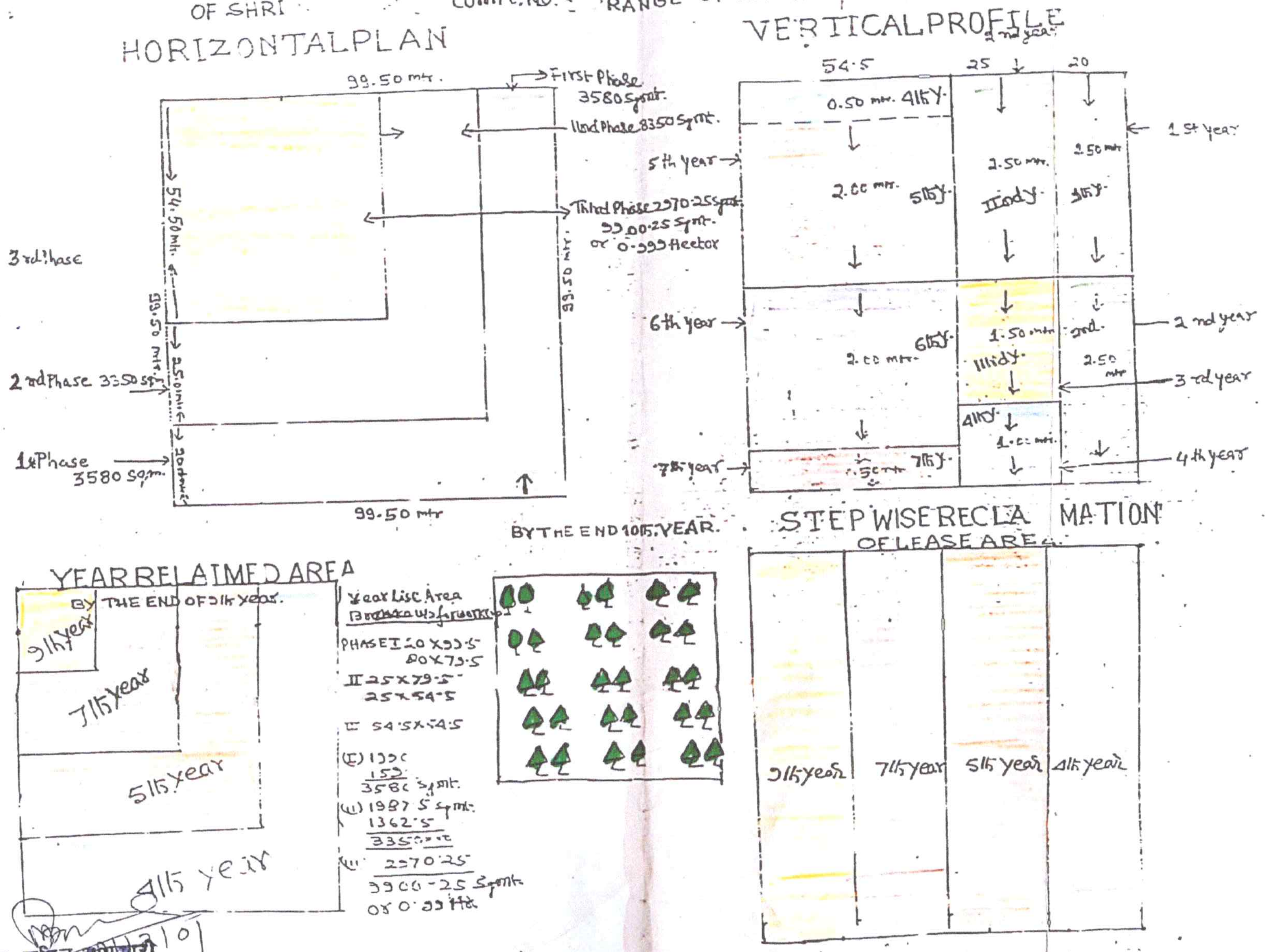

सहा. खनिज अधिकारी

पूर्व में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लीज (पट्टा) में नवीनीकरण के लिए माईनिंग प्लान हेतु

वचन पत्र

भारत सरकार द्वारा पूर्व में लीज (पट्टा) की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नवीनीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तो माईनिंग प्लान प्रस्तुत कर पालन करने हेतु आवेदक वचन बद्ध रहेगा।

संजय कटारे S/o परषोत्तम कटारे

गांधी चौक वार्ड सागर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय
(आदिवासी विकास)
जिला सागर म.प्र.

विषय :— सागर जिले में फर्शी—पत्थर उत्खनन नवीनीकरण हेतु 1.00 हे. वनभूमि श्री संजय कटारे को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :— भारत सरकार की स्वीकृति कमांक/8सी/32/2003—एफ.सी.डब्लू./4373 दिनांक 26.11.2007.

———000———

महानुभाव,

निवेदन है कि सागर जिले के वन मंडल उत्तर सागर की आरक्षित वनभूमि कक्ष कमांक आर.एफ. 112 में से रकवा 1.00 हे. क्षेत्र में फर्शी—पत्थर उत्खनन लीज नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से जारी की गयी थी, स्वीकृत अवधि समाप्त हो चुकी है, आवेदक पुनः स्वीकृत क्षेत्र में लीज नवीनीकरण चाहता है। इसके लिये भारत सरकार की प्रचलित बेब—साईड पर आवेदन किया गया है।

कृपया भारत सरकार के प्रचलित निर्देशों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्वीकृत लीज नवीनीकरण क्षेत्र आरक्षित वनभूमि कक्ष कमांक आर.एफ. 112 में से रकवा 1.00 हे. के संबंध में वनाधिकार अनापत्ति प्रमाण—पत्र आवेदक को प्रदाय करने का कष्ट करें।

स्थान :— सागर

दिनांक :—22/06/2019

कार्यालय कलेक्टर आदिवासी सागर
14804
22.06.19

आवेदक

संजय कटारे
गांधी चौक वार्ड, सागर
(म.प्र.)

प्रति,

श्रीमान् सहायक आयुक्त महोदय
(आदिवासी विकास)
जिला सागर (म.प्र.)

विषय :— वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण—पत्र प्रदाय करने बावत्।

----000----

महोदय,

निवेदन है कि उत्तर सागर वन मंडल के वन परिक्षेत्र मालथौन के वन कक्ष कमांक आर.एफ. 112 में फर्शी—पत्थर उत्खनन लीज नवीनीकरण हेतु रकवा 1.00 हेक्टेयर वनभूमि की मांग का वन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर ऑन—लाईन क्रमांक FP/MP/QRY/40791/2019 दर्ज है।

प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण—पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। अतः कृपया आवेदित वनभूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

सागर, दिनांक :— २५|५|२०२५

प्रार्थी

(संदीप कटारे)
गांधी चौक वार्ड
जिला सागर (म.प्र.)

२७-५-२५

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर (म.प्र.)

क्रमांक/ 344 /खनिज/2020 सागर, दिनांक 28/07/2020

प्रति,

श्री संजय कटारे,
पिता श्री पुरषोत्तम लाल कटारे,
पता— गॉधी चौक वार्ड, सागर
जिला सागर (म.प्र.)

विषयः— स्वीकृत उत्खनन पट्टा में जमा राशि की जानकारी बावत्।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको वनमंडल उत्तर सागर के वन परिक्षेत्र मालथौन के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 567 (नया 113) के रकवा 1.00 हेक्टेयर वनभूमि में खनिज फर्शीपत्थर उत्खनन पट्टा दिनांक 26/11/2007 से 25/11/2012 तक 05 वर्ष हेतु स्वीकृत था। जिसमें आपके द्वारा उक्त अवधि में जमा राशि की जानकारी निम्नानुसार है—

क्रमांक	ग्राम	तहसील	वन कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	अवधि	जमा राशि
01	बांदरी के वन परिक्षेत्र	मालथौन	567 (नया 113)	1.00	26.11.2007 से 25.11.2012 तक	1,16,950—00 (एक लाख सोलह हजार नौ सौ पचास मात्र)

उक्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

खनि अधिकारी
खनि अधिकारी
वास्ते कलेक्टर, सागर
वास्ते कलेक्टर सागर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर

कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला सागर

क्रमांक/28 /खनिज/2009 सागर, दिनांक 5/1/2009

प्रति,

वनमंडल अधिकारी,
उत्तर वनमंडल सागर

विषयः– सागर जिले में फर्शी पत्थर नवीनीकरण हेतु 1.00 हेक्टेयर वनभूमि श्री संजय शुक्ला, श्री संजय कटारे एवं श्री दिनेश कटारे

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 383 दिनांक 28.3.2008

––//––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । श्री संजय शुक्ला, श्री संजय कटारे एवं श्री दिनेश कटारे को वनभूमि में स्वीकृत खदान क्षैत्र का निरीक्षण किया गया जिसमें पर्याप्त मात्रा में फर्शी पत्थर उपलब्ध है । यदि शासन द्वारा 20 वर्ष के लिऐं लीज दी जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है ।

5/1/2009

खनिज अधिकारी
खनिज अधिकारी
वास्ते कलेक्टर, सागर

वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर

उप वन मण्डलाधिकारी
उत्तर सागर